# जनपद शामली पुलिस

**--सोशल मीडिया सेल शामली--**

**प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 19.02.2024**

**थाना कोतवाली शामली**

**थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला पंसारियान में हुई महिला की हत्या का सफल अनावरण कर हत्याभियुक्त पति को किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल दुपट्टा बरामदः-**

दिनांक 16.02.2024 को राकेश कुमार उर्फ लाला पुत्र वीरा प्रजापति निवासी मौहल्ला पंसारियान नई गऊशाला थाना कोतवाली जनपद शामली की पत्नि रीता की हत्या कर शव को लटका देने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण व स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके से साक्ष्य एकत्रित कर मृतका के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। मृतका के पति राकेश की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना का अनावरण कर घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक 19.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला पंसारियान में हुई महिला की हत्या का सफल अनावरण कर हत्याभियुक्त पति को किया गिरफ्तार। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल दुपट्टा को बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना का उद्देश्यः-** गिरफ्तार अभियुक्त मृतका के पति राकेश ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी पत्नि के पडोस में रहने वाले एक व्यक्ति से अवैध सम्बन्ध थे, जिसका मैंने काफी विरोध किया और वो नही मानी। दिनांक 11.02.2024 को पडोसी ने अपने घर में आत्महत्या कर ली थी, जिसकी सूचना उसके परिजनों द्वारा पुलिस को नही दी गई और गुपचुप तरीके से उसका अन्तिम संस्कार कर दिया था। पडोसी की आत्महत्या के बाद मेरी पत्नि काफी आहत और दुखी थी, और ये कहती थी , मैं तुम्हे भी नही छोडूगीं। दिनांक 13.02.2024 को मेरी पत्नि ने खाने में चूहामार दवा मिलाकर मुझे व मेरे तीनों बच्चों को खिला दी थी। जिससे मेरी व मेरे बच्चों की हालत खराब हो गई थी, मेरी पत्नि ने चूहेमार दवा पडोस के ही डाक्टर से ली थी। इसी बजह से मैनें दिनांक 15/16.02.2024 की रात्रि में अपनी पत्नि की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी तथा शव को अपने घर के छप्पर में फांसी लगाकर लटका दिया था और में रात में ही गुड बेचने के बहाने समालखा पानीपत (हरियाणा) चला गया था। जिससे मेरे ऊपर किसी को शक न हो।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1.राकेश कुमार उर्फ लाला पुत्र वीरा प्रजापति निवासी मौहल्ला पंसारियान नई गऊशाला थाना कोतवाली जनपद शामली।

**बरामदगी का विवरणः-**

1.आलाकत्ल दुपट्टा।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-**

1. मु0अ0स0 71/2024 धारा 302 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1.थानाध्यक्ष श्री समयपाल अत्री थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.है0का0 राजू त्यागी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.का0 अमित सांगवान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

59 सुभाष सिंह राठौर 06-03-2019 22-02-2020
60 प्रेमवीर राणा 22-02-2020 1-6-2020
61 सत्यपाल सिंह 01-06-2020 22-05-2021
62 पंकज कुमार त्यागी 22-05-2021 09-11-2021
63 यशपाल सिंह 11-11-2021 19-04-2022
64 दीपक चतुर्वेदी 19-04-2022 29-10-2022
65 नेम चन्द सिंह 29-10-2022 26-06-2023
66 संजीव भटनागर 26-06-2023 29-11-2023
67 समयपाल अत्री 29-11-2023

**थाना कैराना पुलिस द्वारा उ0प्र0 आरक्षी पुलिस भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग के वांछित 02 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन व इलैट्रोनिक डिवाइस, कूटरचित दस्तावेज, चैक, पैन ड्राइव आदि सामान बरामदः-**

ज्ञात हो कि दिनांक 18.02.2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एंव प्रेन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित आरक्षी पुलिस भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग के 04 सदस्यों उस्मान,शाहवेज,रिजवान,आसिफ को इलैट्रोनिक डिवाइस व कूटरचित दस्तावेज सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गिरफ्तारी एवं बरादमगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना में लिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। गठित टीमें उपरोक्त घटना में शामिल अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयासरत थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 19.02.2024 को थाना कैराना पुलिस पुलिस द्वारा उ0प्र0 आरक्षी पुलिस भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग के वांछित 02 सदस्यों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से इलैट्रोनिक डिवाइस, कूटरचित दस्तावेज, चैक, पैन ड्राइव आदि सामान बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी एवं बरादमगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र गिरफ्तारी की जायेगी।

**पूछताछ का विवरणः-**गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग वास्तविक परीक्षार्थियों से सम्पर्क कर पुलिस में भर्ती होने की एवज में 5-6 लाख रुपये लेकर अभ्यर्थी की जगह सॉल्वर को परीक्षा में बैठाने तथा इलैक्ट्रोनिक डिवाइस के माध्यम से पेपर सॉल्व करा देते हैं। दिनांक 18.02.2024 को भी परीक्षा में सम्मलित होने की योजना बनाई थी। योजनानुसार हम लोग इलैक्ट्रोनिक डिवाइस को छिपाकर परीक्षा केन्द्र में ले जाकर परीक्षा के पेपर को सॉल्व करते हैं। परीक्षा केन्द्र के बाहर पेपर को सॉल्व कराने के लिए अन्य साथियों द्वारा इलैक्ट्रोनिक डिवाइस को ऑपरेट किया जाता है। कल हमारे साथी परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में सम्मलित होने जा रहे थे जिन्हे पुलिस ने पकड़ लिया था और मौका पाकर हम लोग भाग गये थे। आज हमें पुलिस ने पकड़ लिया।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-**

1.दिलशाद अली पुत्र जुरहसन निवासी ग्राम मामौर थाना कैराना जनपद शामली।

2.अनीस पुत्र ईनाम निवासी ग्राम सहपत थाना कैराना जनपद शामली।

**बरामदगी का विवरणः-**

1.कीपैड 02 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, पैनकार्ड आदि सामान (दिलशाद उपरोक्त)

2.स्मार्ट 03 मोबाइल फोन व एक बैग में हाईस्कूल व इण्टर के प्रमाणपत्र, चैक, इलैक्ट्रॉनिक घडी, वाईफाई डिवाइस व ब्लूटूथ, एडमिट कार्ड, पैनड्राईव आदि सामान (अनीस उपरोक्त)

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-**

1.उ0नि0 श्री विरेन्द्र कसाना थाना कैराना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री शाह आलम थाना कैराना जनपद शामली।

3.है0का0 प्रमोद कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

4.का0 अमित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

5.का0 भानू कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

**थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध कच्ची शराब बरामदः-**

दिनांक 19.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 05 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1.ओमबीर पुत्र पहल सिंह निवासी ग्राम हथछौया थाना झिंझाना जनपद शामली।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-**

1..मु0अ0स0 109/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली

2..मु0अ0स0 300/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

3..मु0अ0स0 65/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

**बरामदगी का विवरणः-**

1.अवैध 05 लीटर कच्ची शराब।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1.प्र0नि0 सुदेश कुमार प्रभारी थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 अनिल कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.हे0का0 राजा बनिवाल थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 जगमोहन सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।

5.हे0का0 फारुख अली थाना झिंझाना जनपद शामली।

**जनपद पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी/वांछित अभियुक्त किये गिरफ्तारः-**

दिनांक 18/19.02.2024 की रात्रि को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में जनपद पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में सम्बन्धित थानों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-**

1.हनीफ पुत्र मिल्ला निवासी मौहल्ला इकरामपुरा कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

2.जरिफ पुत्र शरीफ निवासी ग्राम मुण्डेट खादर थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.असलम पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम मुण्डेट खादर थाना थानाभवन जनपद शामली।

4.ईदरीश पुत्र शरीफ निवासी ग्राम मुण्डेट खादर थाना थानाभवन जनपद शामली।

**<u>अपर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना बाबरी का वार्षिक निरीक्षण कर संबंधित आधिकारी/कर्मचारीगण को दिए आवश्यक दिशा–निर्देशः-</u>**

आज दिनांक 19.02.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा थाना बाबरी का किया गया वार्षिक निरीक्षण । निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा थाने के महत्वपूर्ण अभिलेखों को चैक किया गया । थाने पर फरियादियों व महिला फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु थाने पर जनसुनावाई/महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त पुरुष/महिला कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्दश दिये गये । CCTNS कार्यालय पर फीडिंग होने वाली सूचनाओं, लंबित विवेचना, हवालात का निरीक्षण किया गया, साथ ही थाना बाबरी के समस्त पुलिस कर्मियों की समस्याओ को सुनकर उनके निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया । अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पाई गई खामियों को दुरुस्त करने के लिए मातहत को बताया गया । अपर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना बाबरी को रात्रि गस्त, प्रभावी चैकिंग व आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सतर्कता बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया । निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र वशिष्ठ के अतिरिक्त सभी उपनिरीक्षक/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।